पत्रांकः– 04/NULM-84/2016/.........2824........./न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम ।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद/नगर पंचायत

पटना, दिनांकः 14/12/16

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** योजनान्तर्गत शहरी गरीब लाभुकों के चिन्हिकरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)** का प्राथमिक लक्ष्य शहरी गरीबों का सशक्तीकरण है। परन्तु शहरी गरीबों के पहचान हेतु कोई अंतिम सूची या मापदण्ड नहीं होने के कारण ज्यादातर परिवार योजना का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान में शहरी गरीबों की पहचान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले **(BPL)** श्रेणी के आधार पर किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि, सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 **(SECC, 2011)** भी पूर्ण की जा चुकी है एवं संबंधित सभी नगर निकायों को इसकी सूची भी उपलब्ध करायी गयी है। इसी सूची के आधार पर शहरी गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित भी किया गया है।

DAY-NULM योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के क्रम में पात्र लाभुकों के चयन में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि वैसे शहरी गरीब जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्ड उपलब्ध हैं, उन्हें पात्र लाभुक मानते हुए **DAY-NULM** योजना के अधीन नियमानुसार लाभान्वित किया जाय।

विश्वासभाजन,
14/12/16

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।